

प्रेषक

मुस्ताक अहमद,  
संयुक्त सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,  
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग  
उ०प्र०, लखनऊ।

लखनऊ दिनांक 09 नवम्बर 2017

सांसाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9

विषय: सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत नहर की पटरियों पर सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित सड़कों को गड़ढामुक्त किए जाने हेतु प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय विशेष कार्याधिकारी एवं विभागाध्यक्ष राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र० 32-स्टेशन रोड, लखनऊ के पत्र संख्या-3797/रा०नि०आ०अनु०-3/न०नि०/2017, दिनांक 08 नवम्बर 2017 की प्रति सलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे कहने का निदेश हुआ है कि राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत नहर की पटरियों पर सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित सड़कों को गड़ढामुक्त किए जाने हेतु प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु अनुमति प्रदान कर दी गई है। तदनुसार अवगत होते हुये कृपया अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,  
(मुस्ताक अहमद)  
संयुक्त सचिव।